संख्याः 204/9–आ–5–8 मिस/86

प्रेषक,

विजय शर्मा,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 9 मार्च, 1995

विषयः विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 2789/9–आ–5–93–8 मिस/86, दिनांक 16 जून, 1993 में विकास प्राधिकरण अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा किराये पर उठायी गयी सम्पत्तियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटी अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के पक्ष में निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी और यह भी अपेक्षा की गयी थी कि इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाय। शासनादेश के प्रस्तर–1 में भवन एवं भूमि की लागत वर्तमान दर पर निकाले जाने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में शासन के समक्ष यह बिन्दु उठाया गया है कि वर्तमान दर का क्या अभिप्राय है और इसका आशय शासनादेश जारी होने की तिथि से है अथवा भवन के मूल्यांकन के समय की तिथि को लागू दर से ।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु मूल्य निर्धारित करने के लिये 1 अप्रैल, 1995 को नियत तिथि (कट–आफ डेट) मानी जाय और इस तिथि के 3 माह के अन्दर अर्थात 30.6.95 तक प्राप्त आवंदन–पत्रों के सम्बन्ध में सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण हेतु उक्त नियत तिथि के आधार पर ही डिमाण्ड नोटिस निर्गत–किया जाय। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भवन के क्रय हेतु जो व्यक्ति आवेदन देते हैं वह अपना आवेदन–पत्र 100/– रूपये के चालान/बैंक ड्राफ्ट के साथ सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे ओर आवेदन–पत्र के साथ संलग्न 100/– रूपये का चालान/बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि को ही आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि मानी जायेगी और उपरोक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्र की तिथि को लागू दर पर ही गणना की जायेगी।

3. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16 जून, 1993 का मन्तव्य यह था कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों में अत्यधिक अनिस्तारित सम्पत्ति को इस शासनादेश के अनुसार समयबद्ध/ तत्परता से निस्तारण की कार्यवाही किये जाने पर जहां एक ओर उक्त भवन के निवासियों को स्वामित्व की सुविधा होगी वहीं विकास प्राधिकरणों की अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्ताराण हो सकेगा किन्तु यह अत्यन्त खेदजनक हे कि इस महत्वपूर्ण शासनादेश/योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ठोस/अपेक्षित गति से कार्यवाही नहीं की गयी परिलक्षित हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जो मूल्यांकन हेतु नियत तिथि निर्धारित की गयी है उसका व्यापक, प्रचार कराया जाय और यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि शासनादेश की प्रक्रिया के अनुसार किये गये आवेदन–पत्रों पर कार्यवाही किये जाने में विलम्ब न हो।

4. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

विजय शर्मा
सचिव